

जाँच रिपोर्ट मजमे-आम

आज दिनांक..... को घोषणार्थवाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित
 मजमे-आम में जाँच की। मौका उपस्थित नैतबिरान/सहखातेदारान/पडौसी
 बताया कि 'वाद के प्रार्थी अशोक कुमार दीपक, हरिनारामण अश्रादेवी पि. मदन
 जाति महाजन निवासी खूपवास व ग्राम खूपवास के
 संख्या 183, 56, 80 का सहखातेदार/खातेदार नाम अशोक कुमार दीपक हरिनारा
अश्रादेवी पि. मदनगोपाल जाति महाजन निवासी खूपवास एक ही व्यक्ति
 प्रार्थी का गाँव में पूर्वोक्त दोनों नामों से जाना पहचाना पुकारा व लिखा जाता
 आराजी में प्रार्थी के नाम को अन्य सरकारी दस्तावेजों के अनुसार घोषित कर शुद्ध
 जाती है तो अन्य किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। फर्द मौका 183
 पढा-सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गए।

हरिनारामण अश्रादेवी

कपले 2।

हस्ताक्षर पटवारी 2/6/23
पं. खूपवास

अश्रादेवी

अशोक कुमार दीपक

Ref. No.

हरिनारामण अश्रादेवी

183 56 80
खूपवास

रिपोर्ट पटवारी / मू0अ0नि0

श्रीमान् जी,

मुताबिक फर्द मौका जाँच रिपोर्ट मजमे-आम, शपथ-पत्र प्रार्थी शपथ
 सहखातेदार/पडौसी खातेदार, प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजों की छायापति
 जमाबंदी के अनुसार "प्रार्थी अशोक कुमार दीपक हरिनारामण अश्रादेवी पि. मदनगोपाल
 जाति महाजन निवासी खूपवास तथा ग्राम खूपवास
 के खाता संख्या 183, 56, 80 का सहखातेदार/खातेदार अशोक कुमार दीपक
हरिनारामण अश्रादेवी पि. मदनगोपाल खाता नं. 80 में मदनगोपाल
 निवासी खूपवास एक ही व्यक्ति है अतः चालू जमाबंदी के
 में प्रार्थी के नाम अशोक कुमार दीपक हरिनारामण अश्रादेवी पि. मदनगोपाल
 उर्फ मदनगोपाल एवं प्रार्थी के नाम अशोक कुमार दीपक हरिनारामण अश्रादेवी पि. मदनगोपाल
 निवासी खूपवास घोषित कर शुद्ध आदेश दिया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर पटवारी 2/6/23
पं. खूपवास

हस्ताक्षर मू0अ0नि0 2/6/2023
14